'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और संबंधित कानून विषय पर आयोजित दो दिवसीय (26 से 27 अगस्त, 2017) कार्यशाला संपन्न हुई।

जेंडर चैंपियंस की पहल पर जेंडर संवेदनशीलता समिति महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा द्वारा **कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और संबंधित कानून** विषय पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला 27 अगस्त 2017 को संपन्न हुई। इस दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन संस्कृति विद्यापीठ के गुर्रम जाशुवा सभागार में किया गया। दो दिनों तक चलने वाली कार्यशाला में अतिथि प्रशिक्षक के रूप में हमारे बीच दिल्ली से आई ईशानी जो वर्तमान में क्रिया (CREA) संस्था से जुड़ी हैं और दीक्षा गुलाटी जो कि अभी स्वतंत्र कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य कर रही हैं मौजूद रहीं। कार्यशाला को चार सत्रों में विभाजित किया गया था। इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मा. कुलसचिव श्री क़ादर नवाज़ ख़ान, कुलानुशासक डॉ. गोपाल कृष्ण ठाकुर अध्यक्ष और जेंडर संवेदनशील समिति की संयोजक डॉ. सुप्रिया पाठक, जेंडर चैंपियंस गुंजन सिंह राजू कुमार भावना मासीवाल और मनोज कुमार गुप्ता सहित विश्वविद्यालय के अलग-अलग विभागों से आए प्रतिभागी, शिक्षक और शोधार्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मा. कुलसचिव श्री क़ादर नवाज़ ख़ान थे तथा इस सत्र की अध्यक्षता कुलानुशासक डॉ. गोपाल कृष्ण ठाकुर कर रहे थे। कार्यक्रम का संचालन गुंजन सिंह द्वारा किया गया। अतिथियों का स्वागत स्मृति-चिन्ह और पुष्प-गुच्छ देकर किया गया। डॉ. सुप्रिया पाठक ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को संबंधित विषय की बारीकियों से अवगत कराने के साथ उन्हें रिसोर्स पर्सन के रूप में तैयार करना भी है। कुलसचिव महोदय ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि नए सत्र की शुरुआत में आयोजित यह कार्यशाला विद्यार्थियों के बीच जेंडर संवेदनशीलता और बराबरी की समझ विकसित करने की दिशा में अच्छी कोशिश है। अध्यक्षीय उद्बोधन के दौरान कुलानुशासक महोदय ने सामाजिक संरचना बेटे-बेटियों की परवरिश में व्याप्त जेंडर गैर-बराबरी, यौन हिंसा, आदि के संदर्भ में भी अपनी बात रखते हुए उम्मीद जताई कि इस कार्यशाला में शामिल हो रहे सभी प्रतिभागी न केवल खुद जेंडर से जुड़ी तमाम बारीकियों को समझेंगे बल्कि अपने साथ के और भी लोगों तक इस समझ को विस्तारित करते हुए विश्वविद्यालय परिसर एवं समाज को एक जेंडर संवेदनशील माहौल प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे।

इस दो दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को जेंडर संवेदनशीलता और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़े कानून तथा उसके विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराना रहा। साथ ही अधिकार और जिम्मेदारी को भी कानून की धाराओं के माध्यम से समझाने का प्रयास रहा। कार्यशाला का पहला दिन दो सत्रों में विभाजित रहा । प्रथम सत्र में जेंडर, सेक्स और यौनिकता से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रहा। जिसके अंतर्गत ट्रांसजेंडर, ट्रांससेक्सुअल, इंटरसेक्स, थर्ड जेंडर, धारा 377 जैसे शब्दों से प्रतिभागियों का न केवल परिचय कराया गया बल्कि अतिथि प्रशिक्षकों के साथ-साथ प्रतिभागियों द्वारा भी सवालों के जरिए इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यशाला के प्रथम दिवस के दूसरे सत्र में महिला आंदोलन के इतिहास, उससे सबंधित उन घटनाओं और 'केसों' पर बात-चीत की गई। जिनकी वजह से महिलाओं से संबंधित कानून बनें और उसमें बदलाव लाया गया। निर्भया कांड के बाद वर्मा कमिटी की सिफ़ारिश पर बलात्कार संबंधित कानून में क्या-क्या बदलाव लाया गया इस पर भी चर्चा की गई और इस कानून में प्रतिभागियों द्वारा सहमति और असहमति के अंतर को समझा गया ।

जेंडर संवेदनशीलता समिति
महात्मा गांधी
हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
द्वारा
उत्पीड़न
कानून
अगस्त,

कार्यशाला के दूसरे दिन दीक्षा और ईशानी साथ-साथ हमारे बीच स्त्री अध्ययन विभाग की सहायक प्रो. डॉ अवंतिका शुक्ला भी मौजूद रहीं। इस सत्र का संचालन भावना मासीवाल द्वारा किया गया । इस सत्र में हमारे साथ या हमारे आस-पास होने वाली यौन शोषण की घटनाओं पर बातचीत की गई । उन घटनाओं पर एक ज़िम्मेदार नागरिक के तौर पर हम क्या कर सकते हैं ? कैसे कर सकते हैं ? उससे संबंधित कानूनी बारीकियों और उसकी प्रक्रियाओं को जाना गया। कार्यस्थल पर यौन शोषण की घटनाओं से लेकर उसके क़ानूनी रूप में तब्दील होने तक की प्रक्रिया को इस कार्यशाला में बताया गया साथ ही उससे जुड़ी कुछ 'लघु फिल्मों' को भी दिखाया है ।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निषेध कानून के दायरे में आने वाली यौन-शोषण, उत्पीड़न और अभद्र व्यवहार की घटनों के बारे में विस्तार से समझाया गया और प्रतिभागियों से उनके अपने और आस-पास के अनुभवों को जानने-समझने का प्रयास भी इस कार्यशाला में रहा। दूसरे दिन कार्यशाला के समापन सत्र के दौरान मंच पर मा. प्रतिकुलपति प्रो. आनंद वर्धन शर्मा, जेंडर संवेदनशील समिति की संयोजक डॉ. सुप्रिया पाठक, स्त्री अध्ययन विभाग की डॉ.अवंतिका शुक्ला और अतिथि प्रशिक्षक दीक्षा और ईशानी उपस्थित रहें। इस सत्र की अध्यक्षता प्रतिकुलपति प्रो. आनंद वर्धन शर्मा द्वारा की गई। प्रतिभागियों को प्रतिकुलपति महोदय द्वारा दो दिवसीय कार्यशाला का प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। प्रतिभागियों ने कार्यशाला से संबंधित अपने सुझाव और अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। प्रतिभागियों द्वारा दिए गए फीड बैक पर भी चर्चा हुई। कार्यशाला के अंतिम सत्र का संचालन मनोज कुमार गुप्ता और राजू कुमार ने कार्यशाला की रिपोर्टिंग में सहयोग किया। समापन सत्र के अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रतिकुलपति महोदय ने कहा कि यह कार्यशाला इस बात की पुष्टि करती है कि विश्वविद्यालय जेंडर संवेदनशीलता की दिशा में अग्रसर है साथ ही उन्होंने कहा आगामी दिनों में ऐसी और भी

कार्यशालाओं और गतिविधियों का आयोजन किए जाने की कोशिश की जाएगी जिसमें उन विद्यार्थियों को भी शामिल होने का अवसर मिल सके जो इसमें शामिल नहीं हो सके हैं। डॉ. अवंतिका शुक्ला ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि यह दो दिवसीय कार्यशाला जेंडर, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और उससे जुड़े कई पहलुओं पर प्रतिभागियों की बेहतर समझ विकसित करने में महत्त्वपूर्ण रही। उन्होंने आयोजन समिति, वालंटियर्स और प्रतिभागियों सहित सभी का धन्यवाद देते हुए अध्यक्ष की अनुमति से कार्यशाला के समापन की घोषणा की।

जेंडर संवेदनशीलता समिति
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
द्वारा
दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन
विषय : कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और संबंधित कानून
दिनांक: 26-27 अगस्त, 2017
स्थान : गुरंम जाशुवा सभागार
आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

जेंडर संवेदनशीलता समिति
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
द्वारा
दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन
विषय : कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और संबंधित कानून
दिनांक: 26-27 अगस्त, 2017
स्थान : गुरंम जाशुवा सभागार
आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

जेंडर संवेदनशीलता समिति
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
द्वारा
दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन
विषय : कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और संबंधित कानून
दिनांक : 26-27 अगस्त, 2017
स्थान : गुर्रम जाशुवा सभागार
प्रशिक्षक
ईशानी | दीक्षा गुलाटी
आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

जेंडर संवेदनशीलता समिति
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
द्वारा
दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन
विषय : कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और संबंधित कानून
दिनांक : 26-27 अगस्त, 2017
स्थान : गुर्रम जाशुवा सभागार
प्रशिक्षक
ईशानी | दीक्षा गुलाटी
आप सभी का हार्दिक स्वागत है।